JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

हिंदी साहित्य में बाल यौन–शोषण

लेखक– मनीष खारी
हिंदी शोधार्थी
निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर
डॉ पूनम लता मिड्ढा
professor ,Research supervisor,
Nirwan University,Jaipur

शोध सार - बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल न किसी बात की चिंता न ही कोई जिम्मेदारी । बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना. कूदना और पढ़ना । लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं।
व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक सभी सन्दर्भों में प्रगति और समुचित विकास तथा उसके व्यक्तित्व में सुसमायोजन का पाया जाना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बाल्यकालीन जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। उसके बचपन में प्राप्तव्यों की उपलब्धता, उसकी चतुर्दिक परिस्थितियाँ तथा परिवेश कैसा था। बाल्यकालीन जीवन ही आगामी सम्पूर्ण जीवन की आधारशिला है। यदि बचपन समस्याग्रस्त रहा तो उसके तात्कालिक तथा दूरगामी कुपरिणाम सम्पूर्ण जीवन में परिलक्षित होते हैं। परन्तु यह दुःखपूर्ण स्थिति है कि बचपन अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। कोमल कल्पनाओं से परिपूर्ण बाल–संसार को 'यथार्थ' काँच की नुकीली कनी के समान चुभकर लहूलुहान बना देता है। बड़ों की दुनिया के अभाव अज्ञानता, असमानता, गरीबी, बेकारी, हिंसा बच्चे को भोगने पड़ते हैं।
शब्दावली – बाल यौन शोषण , हिंदी साहित्य ,शोषण ,परिवार ,धर्म

षोध विस्तार
बाल यौन–श्शोषण :

बड़े शहरों के साथ. साथ आपको छोटे शहरों में भी हर गली नुक्कड़ पर कई राजू दृ मुन्नी या छोटू मिल जाएंगे , जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं । यह बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं इसके साथ ही बच्चों कों कई घिनौने कुकृत्यों का भी सामना करना पड़ता है। जिसका बच्चों के मासूम मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसे बाल यौन–श्शोषण कहा जाता हैं। **'हेनरी केम्प'** के अनुसार बाल यौन–श**शोषण** . आश्रित और अपरिपक्व बच्चों का उन यौन सम्बन्धी गतिविधियों में लिप्त होना है जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते और जिसके लिए वे सहमति नहीं दे सकते। जूविनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के अनुसार ''यह एक बालक (लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम और लड़कों के लिए 16 वर्ष से कम) और एक प्रौढ़ (जो कि उसके षिकार से आयु में काफी बड़ा है और बालक पर षक्ति जमाने और काबू पाने की स्थिति में है) या एक वह जानकार या अनजान व्यक्ति हो सकता है, के बीच पारस्परिक क्रिया है जिसमें बालक का इस्तेमाल अपराधकर्ता या अन्य व्यक्ति के लैंगिक उत्तेजन के लिए किया जा रहा है।'' यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर बच्चों का यौन शोषण करने वाले उनके अपने ही पिता, भाई, संरक्षक या रिश्तेदार होते हैं। कुछ वर्षों पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार बाल–यौन–श**शोषण** के 80ः मामलों में दुष्कर्मी बच्चे से परिचित कोई वयस्क रिष्तेदार, पड़ोसी या बड़ा बच्चा ही होता है। कई बार अभिभावकों को इसका अंदाजा ही नहीं होता कि उनके बच्चे के साथ यौन

शोषण हुआ है और कोई अपना ही कर रहा है और पता चलने पर भी डरा–धमकाकर, परिवार की मान–प्रतिष्ठा बचाने की दुहाई देकर जबरन बच्चों को चुप करा दिया जाता है जिससे दुष्कर्मी को और बढ़ावा मिलता है। यह मानना है कि लैंगिक या यौन **शोषण** का शिकार केवल बालिकाएँ होती हैं, गलत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1995 में यौन शोषण के 47 मामले बालकों के दर्ज किए गए वहीं 1996 में 8–12 वर्ष तक के बालकों के यौन शोषण के 68 मामले सामने आए। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज के अनुसार दस बालकों में से एक अपने माँ त्राप की बेफिक्री के कारण यौन शोषण का षिकार है।

यूनिसेफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि बच्चों के यौन–उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले (औसतन चार लाख) प्रतिवर्ष भारत में दर्ज कराए जाते हैं जबकि कितने ही मामले दर्ज भी नहीं होते। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देष में हर 35वें मिनट में बाल–यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज होता है। हर 155 वें मिनट में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और देष का प्रत्येक चार में से एक बच्चा यौनशोषण का षिकार है। ये आँकड़े ही दिल दहला देने वाले हैं तो सहज यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्पीड़ित बच्चों की पीड़ा और कष्ट क्या होगा। बच्चों की सहज उपलब्धता, उनका आसानी से गिरफ्त में आ जाना, भेद खुलने या बच्चों के ओर से प्रतिरोध की सम्भावना बहुत ही कम होने के कारण अपनी विकृत वासना को शान्त करने के लिए बच्चों पर नर–पिषाचों का षिंकजा कसता ही जा रहा है। पिछले कई वर्षों से बाल–दुष्कर्म के मामलों में आष्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती जा रही है।

हिन्दी कथा साहित्य में बाल यौन–शोषण का वर्णन :

बाल जीवन पर आधारित हिन्दी कथा साहित्य की बात करें तो हमारे सुधी हिंदी साहित्यकारों ने 'बचपन' को केन्द्र में रखकर पर्याप्त सृजन किया है।

हिन्दी कथा साहित्य में अनेक कहानियों तथा उपन्यासों के माध्यम से बाल यौन–शोषण की समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया गया है तथा उन खामियों, लापरवाही तथा कारणों की ओर इंगित करते हुए, जिनके कारण ऐसे हादसे होते हैं, इनके दुष्परिणामों की भयंकरता पर भी प्रकाष डाला गया है। जिसका संक्षित वर्णन निम्न शीर्षकों में देखा जा सकता है:

1. परिवार में बाल यौन–शशोषण का वर्णन :

पिता के सम्मानीय एवं विश्वासपूर्ण पद को कलंकित करने वाले ऐसे पिता भी हैं जो अपनी विकृत मानसिकता एवं अतृप्त कामवासना के कारण अपनी ही संतान, अपनी ही कन्याओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। वहसी पिताओं द्वारा ऐसा करने की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है और नशे में धुत पिता हैवान बन जाते हैं। जैसे– 'नही ऽ बाबूजी नहीं' कहानी में नषे से लड़खड़ाता ष्षराबी पिता घर में घुसता है और छोटे–छोटे बच्चों में उलझी माँ बार–बार बच्ची सविता को उसके पास खाना–पानी देने भेजती है, जबकि भय के कारण वह जाना नहीं चाहती थी। माँ कहती– ''जा–ऽ पानी दे आ! हाथ धुला आ, थाली लगा दे, जा पकड़ा कर आ।''[1] पिता बेटी के साथ हर रात दुराचार करता है। दर्द से बेहाल वह माँ से सटकर रातभर चीखती रही पर माँ तब भी न समझी और यह नित्यप्रति का सिलसिला बन जाता है – 'धड़धड़ सीढियाँ उतरते आते, गुर्राए थे और दबोचकर ऊपर ले गए थे। वह मिमियाती रही, ''नहीं बाबूजी–बाबूजी नहीं'' ....हर रात अँधेरे को चीरती पटरियों पर दौड़ती गड़गड़ाती ट्रेन उसे कुचलकर निकल जाती।[2]

उसकी हालत काफी गंभीर हो जाने पर तथा डाक्टरनी के डाँटने–फटकारने पर उसे मामा के घर भेज दिया जाता है परन्तु इतनी भयानक शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक यंत्रणा लगातार सहते रहने के कारण वह लम्बे अर्से तक दुःस्वप्नों सी घिरी, मूक, अलग–थलग, गुमगुम सी रहती है – 'बिन्नी और गूड्डू की उछलकूद के साथ मामी उसे भी शामिल करना चाहती थी पर वह ठिठकी रहती। स्कूल में अपनी उम्र की चहकती, कूदती, फाँदती, लड़कियों के बीच वह थकी सी एक तरफ टिकी उन्हें आश्चर्य से देखती

[1] नहीं बाबूजी नहीं : कमल कुमार, पृ0 124

[2] नहीं बाबूजी नहीं : कमल कुमार, पृ0 125

रहती थी।......वह जैसे ही आँख बन्द करती, उसकी आँखों में काली छायाएँ मडराने लगती।......स्वप्न में दिखने वाले अति क्रूर दरिंदे का चेहरा बाबूजी से मिलने लगता।'[3]

समाज वैज्ञानिकों के दिए गए आँकड़ो के अनुसार ऐसे दो तिहाई मामलों में भाई, पिता या घर के सदस्य बालक–बालिकाओं के साथ यौन–शोषण या दुष्कर्म करने के अपराधी होते हैं जबकि 80 प्रतिषत मामलों में कोई नज़दीकी सदस्य, रिश्तेदार, मित्रगण आदि ऐसा करते हैं। भाई–बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले ऐसे भाई भी हैं जो अपनी बहन का जीवन ही नष्ट कर डालते हैं बेचारी बालिकाएँ दबती घुटती सब सहकर भी कुछ नहीं कह पाती या कहें भी तो विश्वास कौन करे, यूँ ही वे बालिका होने की सजा पहले ही भुगत रही होती हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास 'छिन्नमस्ता' में इस समस्या को बड़ी ही गम्भीरता से प्रस्तुत किया गया है। प्रिया नामक बालिका दस वर्ष की उम्र में सगे बड़े भाई की हवस का षिकार बनती है अेर भाभी की अनुपस्थिति में तो सिलसिला सा चल पड़ता है घर भर में उपेक्षित प्रिया एकमात्र निकटस्थ अपनी दाई माँ को यह बात बताती है। इस हादसे के कारण कुचले हुए बचपन, असमय कैशोर्य का भार और सारा दोष भी बेचारी प्रिया पर ही मढ़ दिया जाता है और वह घर भर के लिए और भी फालतू उपेक्षित और सिरदर्द जैसी 'वस्तु' बनकर रह जाती है। जब प्रिया इस सबके जिम्मेदार के विषय में सोचती है तो अन्दर ही अन्दर क्रोध का लावा उबलने लगता है–
'दाई माँ के शब्द ''काहू से मत कहिह बिटिया, कभी नाहीं।'' और माँ का अपराध बोध, समूचा हीनभाव मुझको लेकर......बड़े भैया? मेरा समूचा अस्तित्व चीख रहा था, हाहाकार कर रहा था।'[4]

2. आस . पड़ोस में बाल यौन–शशोषण का वर्णन :

घर के बाहर के प्राणियों द्वारा भी ऐसे घृणित कृत्यों की फेहरिस्त बड़ी लम्बी है जो विश्वासपात्र बनकर विष्वास को ठगते हैं। जैसे– 'खेल' नामक कहानी में राजो नामक चार वर्षीया बालिका के साथ बेहद लगाव दर्षाने वाले उनके पिता के मित्र एक दिन अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करते हैं और बेहोष बच्ची को स्वयं ही उसकी माँ को सौंपते हुए बहाना बनाते हैं– ''छत पर दीवार से निकले सरिया से उसे चोट लग गई हैं।''[5]
माँ अपनी नन्हीं सी बच्ची के साथ हुए इस हादसे तथा इसके परिणामस्वरूप बाद में बच्ची को लगने वाले षारीरिक एवं मानसिक आघात की कल्पना कर मनोव्यथा से भर उठती है – 'जिसके जीवन की अभी शुरूआत भी नहीं हुई है उस बच्ची ने क्या सोंचा होगा कि यह कौन सा जानवर है जो उठकर खड़ा हुआ है।[6]

इसी प्रकार 'मैंने कह दिया न बस' (रानी दर) में पड़ोस में रहने वाले शशिकांत अंकल द्वारा किए गए दुष्कर्म का षिकार हो जाने के बाद विनीता नामक बालिका बिल्कुल अनमनी, गुमसुम, अलग–थलग रहने लगती है। वह अपने घरवालों को कुछ नहीं बता पाती क्योंकि अंकल ने जान से मार डालने की धमकी दी थी – ''खबरदार जो अपने माँ बाप से इस बारे में एक षब्द भी कहा तो, वरना जान से मार दूँगा तुझे समझी?''[7] किन्तु उसी दिन से वह बेतरह नफरत की अग्नि में जलती रहती। उसके अटपटे व्यवहार का कारण कोई नहीं समझ पाता उल्टा यह उसकी जिद, विद्रोह और अभिमान माना जाता।

3. धर्माडम्बर, पाखण्ड और अन्ध श्रद्धा के कारण बाल यौन–शशोषण का वर्णन :

धर्माडम्बर, पाखण्ड और अन्ध श्रद्धा के कारण कई बार जिन्हें परम पूज्य समझकर उन पर विश्वास किया जाता है वही ऐसा कुत्सित कृत्य करते हैं। जैसे– 'कन्या' नामक कहानी में एक ग्रामवासी के घर आए कथावाचक वृद्ध पण्डित पूजा–अर्चना का सामान मँगवाने के बहाने उस घर की बालिका षिवा से यौन–कुचेष्टाएँ करते हैं माँ बाप सर्वथा अनभिज्ञ रहते हुए उसके बार–बार मना करने पर भी उसे पण्डित

---

[3] वही, पृ0 126
[4] छिन्नमस्ता : प्रभा खेतान, पृ0 72
[5] खेल : नवनीत मिश्र, पृ0 74
[6] वही, पृ0 75
[7] मैंने कह दिया न बस : रानी दर, पृ0 188

जी के पास बैठने, पढ़ने, सीखने को भेज देते। उसकी व्यथा मन में घुमड़कर रह जाती पर सबके द्वारा पण्डितजी की आवभगत होती देख वह घृणा और क्रोध से उल उठती – 'जल जलकर राख हो जाती, हैरानी भी होती, गुस्सा भी आता। मगर वह नादान जो थी, उसके पास भाषा नहीं थी शब्द नहीं थे उस बात को व्यक्त करने के लिए, समझ अलबत्ता थी। किन्तु निरन्तर ऐसे ही घुटते रहने के कारण उस बालिका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है – 'नन्हीं सी षिवा की मानसिकता को कोई एक नई घुटन, एक नई परेशानी ने ग्रस लिया था। वह दिन व दिन अन्तर्मुखी होती जा रही थी......

समाज में व्याप्त कई प्रकार के धर्माडम्बर, अन्धविश्वास और कुप्रथाएँ बच्चों के लिए अत्यन्त अहितकारी तथा खतरनाक हैं, फिर भी, इनका उन्मूलन नहीं किया जा सका है जैसे – देवदासी प्रथा, बाल–बलि की प्रथा, पीर–फकीरों पर अन्धश्रद्धा के कारण बच्चों की समय रहते उचित चिकित्सादि न कराना, ।

'पीर की डाची' (आषा श्रीवास्तव) में अन्धविश्वासी ग्रामवासी गाँव में आए फकीर को प्रसन्न करने के लिए प्रचलित रिवाज के अनुसार एक 'वस्तु' की तरह एक नाबालिग बालिका को डाची बनाकर उसे भेंट कर देते हैं जिसका चार दिनों तक पीर मनमाना यौन शोषण करता हुआ पाँचवे दिन जूठन की तरह गाँव में फेंककर चला जाता है और यही रिवाज है कि जो एक बार 'पीर की डाची' बन जाए वह और किसी से प्रेम या विवाह नहीं कर सकती। कोई उसे नहीं अपनाएगा। जब रूही बाहर आती है तो उसकी दशा अति दयनीय और करूणाजनक है–'उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो चल नहीं पा रही थी। उसका शरीर हल्दी जैसा पीला पड़ गया था। जैसे किसी ने शरीर से रक्त की एक–एक बूँद चूस ली हो। उसके गालों पर खरोंच के निशान थे..........रूही रो रही थी.......उसके हाथों और गर्दन पर नीले–नीले निशान थे।[8] एक निर्दोष, निरीह, मासूम बच्ची के जीवन को नरक बना देने वाला यह कौन सा धर्म, कैसा रिवाज है, इससे सदियों से चली आ रही सड़ी–गली परम्पराओं और रिवाजों पर चलने वाली अशिक्षित तथा रूढ़िग्रस्त मानसिकता की जनता का कड़वा और घिनौना सच अवश्य उजागर होता है ।

4. बालकों के यौन–श्शोषण का वर्णन :

ऐसा नहीं कि केवल बालिकाएँ ही यौन शोषण की शिकार होती हैं बल्कि बालकों के यौन–श्शोषण की घटनाएँ भी बढ़ती चली जा रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोषल सांइसेज के अनुसार 'दस बालकों में से एक अपने माँ बाप की बेफिक्री के कारण यौन–शोषण का शिकार है।[9] हिन्दी कथा साहित्य में कुछ कहानियों के माध्यम से बालक यौन शोषण की समस्या को भी उद्घाटित किया गया है। ऐसा घृणित कुकृत्य करने वाले कहीं बस्ती या आस–पड़ोस में रहने वाले लोग, षिक्षक या कार्य मालिक आदि हैं। जैसे 'गली में' नामक कहानी में एक बालक जीतू गली में रहने वाले आवारा, गुण्डा गर्दी करने वाले तथा उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण का षिकार होता है – 'एक दिन जीतू को पकड़ लिया था। कैसी दुर्गति बनाई थी। याद कर अभी भी भय से सिहर गया जीतू। सारे शरीर पर बकोटने के निषान। ।'[10] पीड़ा को चुपचाप सहता वह माँ से झूठ बोल देता है कि स्कूल में अमरूद के पेड़ से गिर गया था। किन्तु – 'झूठ बोलते हुए उसे कसक सी हुई। आँखें बन्द कर चादर में मुँह छिपा लिया। कैसे माँ से वह सब दर्दानाक घटना कहे? उस पर क्या बीतेगी?......वह बेटे की माँ है, इस बात पर गर्व करने वाली। कैसे वह अपनी माँ का गर्व खण्डित करे।'[11]

इसी प्रकार 'दायित्व' (अवधेश श्रीवास्तव) में राज नामक एक बालक को उसी के पड़ोस में रहने वाले बड़ी उम्र के लड़के तथा समव्यस्क लड़कियाँ अपने इशारों पर नचाया करती और वह विवश होकर प्रतिरोध तक नहीं कर पाता था । मासूम बच्चा क्रूर और अतिक्रोधी पिता के आतंक से कुछ कह भी नहीं सकता।

5. विद्यालय में यौन–शोषण का वर्णन : 'गुरू' के अति सम्मानीय उच्च और विश्वास पूर्ण पद को कलंकित करने वाले ऐसे शिक्षक भी मौजूद हैं जो अपने छात्रों का यौन शोषण करने के जघन्य अपराध में लिप्त हैं। जैसे 'हरिजन सेवक' नामक कहानी में स्वयं को गाँधीवादी, अछूतों और शोषितों का सेवक कहने वाला एक भ्रष्ट अध्यापक मुंशी रामशरण लाल हरिजन बच्चों को घर पर ट्यूशन देने के बहाने बुलाता है और मनमाने ढंग से उनका यौन–शोषण करता है। एक बालक कहता है– ''न मालूम क्यों वो मेरे ऊपर पिघलते जा रहे थे। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़कर खाट पर खींच लिया और मेरे गालों को सहलाने

---

[8] पीर की डाची : आषा श्रीवास्तव, पृ0 1–5

[9] मानवधिकार तथा बाल पोषण : पुष्पलता तनेजा, पृ0 51

[10] गली में : नवेन्दु, पृ0 31

[11] वही, पृ0 31

लगें।...........वे कहने लगे ''दुसाध का लड़का और इत्ता कोमल, 'खूबसूरत' माटी की मूरत की तरह लगते हो।''...........मास्साब हमेशा 'मूरत' जैसे दो तीन बालक अपने साथ रखते थे। उनका कहना था कि जब तक दो–चार बालकों को अपने घर में रखकर पढ़ाते लिखाते नहीं तब तक उनका जी नहीं लगता।''[12] ओम प्रकाष वाल्मिकी जी के 'जूठन' में भी अध्यापक द्वारा बच्चों के प्रति गलत व्यवहार पर प्रकाष डाला गया है।

षोध निष्कर्ष .इतिहास बच्चों के विषय में मौन है। विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं एवं करवटों में बच्चों का क्या हुआ, इसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं। बच्चे वोट बैंक नहीं हैं तो राजनीतिज्ञों को उनमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन बचपन सीधा, सरल, खुशहाल और सुविधासम्पन्न न होकर अत्यन्त संकटग्रस्त है इस तथ्य को लगभग सभी हिन्दी कथा साहित्य के रचनाकारों ने बड़ी निकटता के साथ अनुभव किया है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी आँखें–कान बन्द रखकर या मुख फेरकर इस भ्रम में न रहें कि 'सब कुछ ठीक है।' बच्चों के मन की पुकार सुने.

[12] हरिजन सेवक : मधुकर सिंह, पृ0 11–12